Re8... आदेश ... पत्रावली दिनांक
16/10/24 को पेश हो।

16/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 के तलबी नोटिस रजिस्ट्री रसीद चस्पा होकर पेश है। पत्रावली वास्ते इंतजार तामील दिनांक 25/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

25/10/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 20/11/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

20/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

27/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 बावजूद जरिये Reg AD नोटिस तामील उपस्थित नहीं। तलबी को एक माह से अधिक का समय हो चुका है। प्रति. सं. 4 व 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते वादी साक्ष्य पत्रावली दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

23/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित, वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। वादीगण

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

केस्म मुकदमा हनुमान सिंह राठौड़ बनाम सहायक अभियन्ता P.W.D. बांदीकुई

दावा स्थायी निषेधाज्ञा नं० 162/2023 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील ने वादपत्र पर सीधी बहस करनी चाही। वादपत्र पर वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादपत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 162/2023
प्रकरण दायर दिनांक 04.10.2023
प्रकरण निर्णय दिनांक 23.12.2024

उनवान

1. हनुमान सिंह पुत्र भवानीसिंह
2. किशोर सिंह पुत्र भवानीसिंह
3. चरण सिंह पुत्र भवानीसिंह
4. सन्तोष कंवर पुत्री भवानीसिंह
5. चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह
7. सुमित्रा कंवर पत्नि शैतानसिंह
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी सकरेला की ढाणी उनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

9. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
10. किस्तूरी पत्नि रामेश्वर
11. छगन पुत्र बुद्धा
12. बाबूलाल पुत्र बुद्धा
13. भीखालाल पुत्र जगन्नाथ
14. महेश पुत्र बद्रीप्रसाद
15. मोहनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद
16. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर
17. शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद

समस्त जाति ब्राहमण निवासी सकरेला की ढाणी उनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बांदीकुई
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई
3. यूको बैंक शाखा बांदीकुई तहसील बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई

प्रतिवादीगण

Scanned with OKEN Scanner

" दावा स्थायी निषेधाज्ञा"

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा वादपत्र दावा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 31 पुराना 112 आराजी खसरा नं. 1743 लगायत 1746 कुल किता 04 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर वाके रामा सकरेला की ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसके वादी संख्या 01 लगायत 08 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं खाता संख्या नया 04 पुराना 07 आराजी खसरा नं. 1314 लगायत 1320, 1320/2232, 1321 लगायत 1324, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335 लगायत 1340, 2543/1327, 2545/1328 कुल किता 25 कुल रकबा 8.91 हैक्टेयर वाके रामा सकरेला की ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है जिसके वादीगण संख्या 09 लगायत 17 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि मुतदाविया वादीगण की पैतृक आराजी है जिस पर वे अर्सा दराज से काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व भूमि मुतदावियाा पर मौके पर आज भी सभी खातेदार काश्तकार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त मौजूद है जिस पर वादीगण अपने–अपन हिस्से पर बाहमी राजीनामें से काबिज काश्त है तथा किसी दीगर सख्स का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है।

भूमि मुतदाविया पर प्रतिवादी संख्या 01 जबरन रास्ता कायम करने पर आमादा है तथा उसने गत दिनांक 22.09.2023 को बिना कोई पूर्व सूचना वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर अपने साथ अपने कर्मचारियों को लेकर मौके पर आया व मौके पर भूमि की बिना किसी प्रकार की कोई नाप तौल किये बिना ही मौके पर रास्ता निकालने के लिये निशानात लगाने लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से कहा कि आप ये किस बात के लिए निशान लगा रहे हो तो प्रतिवादी संख्या 01 व उसके साथ आये कर्मचारियों ने बताया कि हम यहॉ होकर सडक का निर्माण करेंगे जिस पर वादीगण ने कहा कि यह तो हमारी खातेदारी की भूमि है इसमें आपको रास्ता निकालने का क्या अधिकार है आप बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये बिना कोई नोटिस अथवा पूर्व सूचना के इस प्रकार हमारी खातेदारी भूमि में होकर सडक का निर्माण कैसे कर सकते हो तो प्रतिवादी संख्या 01 व उसके साथ आये कर्मचारी जबरन रास्ता निकालने के लिये निशान लगाने लगे बिना वादीगण की इजाजत व सहमति के बिना विधिवत प्रकिया अपनाये हुये बिना व वादीगण की भूमि को बिना अवाप्त किये व बिना किसी प्रकार से कोई मुआवजा दिये ही राठौडी में जबरन राजनैतिक दबाब में वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में खडी फसल को नष्ट करते हुये रास्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है तथा वादीगण के द्वारा मना करने पर प्रतिवादी संख्या 01 व उसके साथ आये कर्मचारियों द्वारा एलानिया कहा गया कि हम जहॉ से होकर चाहेंगे हम पक्के रोड का निर्माण करेंगे और यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रास्ते का निर्माण किया जावेगा और जो भी रोकने का प्रयास करेगा उसे राजकार्य मे बाधा डालने के संगीन मुकदमें में बंद करवा देगे। ऐसी सूरत में वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि को महफूज रखने के लिये वादीगण को सिवाय दावा हाजा के अन्य कोई सूरत नहीं होने से वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

४५६

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 01 व उसके कर्मचारी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में खडी हुई फसल को नष्ट करते हुये ग्रेवल सडक मौके पर बनाने पर आमादा हो रहे है वादीगण ने काफी विरोध किया लेकिन वो नहीं माने तथा कहने लगे कि हम जबरन बल प्रयोग करके भूमि मुतदाविया में डामर की सडक का निर्माण और करेंगे। राज का गैला सिर के उपर से होता है तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। वादीगण को किसी प्रकार की कोई मुआवजा राशि सडक निर्माण के लिये नहीं दिया है। तथा ना ही किसी प्रकार से भूमि मुतदाविया को सडक निर्माण बाबत अधिग्रहित किया है। उन्होने अवैध रूप से भूमि मुतदाविया में ग्रेवल सडक का मौके पर फसल को नष्ट करते हुये जबरन निर्माण करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 यदि अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं होगी ऐसी सूरत में प्रतिवादी सं. 01 को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है कि वो भूमि मुतदाविया में वादीगण के प्राप्त विधिक अधिकार के विरूद्ध जाकर अवैध रूप से मौके पर ग्रेवल सडक का निर्माण नहीं करें।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 01 स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री फरमाया जावे कि भूमि मुतदाविया वादपत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित पर प्रतिवादी सं. 01 ग्रेवल सडक का निर्माण नहीं करे तथा भूमि मुतदाविया में वादीगण को प्राप्त विधिक अधिकारों का हनन करने से व उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करने के लिये सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस विधिवत की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश नहीं करना चाहा तथा वादपत्र पर सीधे बहस करनी चाही। वादीगण वकील बहस सुनी गयी। वादीगण वकील ने बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादीगण वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम सकरेला की ढाणी खाता सं. नया 31 पुराना 112 वादीगण सं. 1 लगायत 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम सकरेला की ढाणी खाता सं. नया 4 पुराना 7 वादीगण सं. 9 लगायत 17 के नाम दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेजात अवलोकन से प्रतिवादी सं. 01 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार होना जाहिर नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 01 को वादग्रस्त भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में सडक निर्माण कार्य किये जाने से वादीगण को प्राप्त विधिक अधिकारों का हनन किया जाना प्रतीत होता है। जिससे प्रतिवादी सं. 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में की गयी कार्यवाही विधिवत प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 01 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाता है कि बिना विधिक कार्यवाही के भूमि मुतदाविया में ग्रेवल सडक का निर्माण नहीं करे तथा भूमि मुतदाविया में वादीगण को प्राप्त विधिक अधिकारों का हनन नहीं करे। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल

Scanned with OKEN Scanner

दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 23.12.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

23/12/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

<u>उनवान</u>

1. हनुमान सिंह पुत्र भवानीसिंह
2. किशोर सिंह पुत्र भवानीसिंह
3. चरण सिंह पुत्र भवानीसिंह
4. सन्तोष कंवर पुत्री भवानीसिंह
5. चांदनी कंवर पुत्री शैतानसिंह
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह
7. सुमित्रा कंवर पत्नि शैतानसिंह
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी सकरेला की ढाणी उनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

9. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
10. किस्तूरी पत्नि रामेश्वर
11. छगन पुत्र बुद्धा
12. बाबूलाल पुत्र बुद्धा
13. भीखालाल पुत्र जगन्नाथ
14. महेश पुत्र बद्रीप्रसाद
15. मोहनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद
16. विजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर
17. शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद

समस्त जाति ब्राहमण निवासी सकरेला की ढाणी उनबडागांव तहसील बांदीकुई जिला दौसा

वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बांदीकुई
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई
3. यूको बैंक शाखा बांदीकुई तहसील बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबंधक
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.–162/2023 सन्–2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील श्री सुशील कुमार मिश्रा व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील श्री .... मिनजानिय मुद्दई रूबरू .... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण वाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 01 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाता है कि

०५६–

Scanned with OKEN Scanner

बिना विधिक कार्यवाही के भूमि मुतदाविया में ग्रेवल सडक का निर्माण नहीं करे तथा भूमि मुतदाविया में वादीगण को प्राप्त विधिक अधिकारों का हनन नहीं करे।

निज.............................मुबलिग...बाबत.....................................

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............ 23/12/24

ओहदा..........................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कगिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

23/12/24

Scanned with OKEN Scanner